**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 438/2021

अनवान : –

1. गोपालराम पुत्र बींझाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. नरेश पुत्र मुखराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. सतपाल पुत्र मुखराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. शिवभगवान पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
3. भंवरलाल पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णलाल पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
6. मुर्तिदेवी पुत्री हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
7. जसोदेवी पुत्री हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
8. गिरदावरी पुत्री बिंझाराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. सुगनी पुत्री बिंझाराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. रूकमणी उर्फ पत्नी मुखराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. सुनिता पुत्री मुखराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः– 14/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 627/240 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9, 11 व मृतक हजारी प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि व 7/27 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 तथा 5/27 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 10 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता संख्या 637/310 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से वादी संख्या 1 व मृतक हजारी प्रत्येक के 8/27 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 8 के 1/9 हिस्सा भूमि, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 11 प्रत्येक के [illegible]6 हिस्सा भूमि, प्रतिवादीया सं0 10 के 23/108 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बींझाराम पुत्र खिंयाराम की फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि में बींझाराम की पुत्रीया चनकोरी, सरबती, रूकमा, बाधो, सुगना द्वारा अपना हक हिस्सा अपने भाईयो वादी न0 1 व मृतक हजारीराम व प्रतिवादी सं0 10 रूकमणी पत्नी मुखराम के पक्ष मे जरिये दस्तवरदारी दिनांक 25.08.2015 को अपना हक व हिस्सा परित्याग कर दिया तथा उनके हक हिस्सा के हकदार वादी संख्या 1 व मृतक हजारी पुत्र बिंझाराम व प्रतिवादी संख्या 10 हुए। मुखराम पुत्र बिंझाराम के फौत होने के पश्चात उसके हक हिस्सा के हकदार वादी न0 2 व प्रतिवादी न0 1 व प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 हुए तथा हजारीराम पुत्र बींझाराम व उसकी धर्मपत्नी सरबती पत्नी हजारीराम के फौत होने के पश्चात उनके हक हिस्सा के हकदार 2 ता 7 हुए इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में बाद हकत्याग वाके रोही मौजा बिरकाली की वाद भूमि में वादी स0 1 अकेला 8/27 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/36 हिस्सा तथा मृतक हजारी पुत्र बींझाराम अकेला 8/27 हिस्सा का तथा हजारीराम के फौत होने के पश्चात उसके 8/27 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 तथा प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 23/108 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए इसी प्रकार रोही मौजा ननाउ की वाद भूमि वादी संख्या 1 अकेला 1/36 हिस्सा का वादी हजारी पुत्र बींझाराम अकेला 8/27 हिस्सा का तथा हजारी पुत्र बींझाराम के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान 2 ता 7 उसके हिस्से 8/27 हिस्सा के हकदार हुए तथा प्रतिवादी संख्या 8 अकेली 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 23/108 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मगर रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 627/240 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि में हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है उक्त वाद भूमि में वादी संख्या 2 का हिस्सा दर्ज नही किया गया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 को कोई हक हिस्सा नही है फिर भी दर्ज कर रखा है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 627/240 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता संख्या 637/310 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जावे। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–7 रोही मौजा बिरकाली, रोही मौजा ननाउ जमाबंदी सम्वत 2073–73, मृत्यु प्रमाण  हजारी, मृत्यु प्रमाण पत्र सरबती, चित्रपति वारिसान प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तवदारी दिनांक 25.08.2018 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 11 एवं मृतक हजारी के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है।  प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। हजारी पुत्र बींझाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है जो की अपने पिता के हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त वाद भूमि में वादी संख्या 2 का भी हक हिस्सा है लेकिन सहवन से दर्ज नही हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 9 के नाम वाद भमि गलत दर्ज हो गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 627/240 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9, 11 व मृतक हजारी प्रत्येक के 1/9 हिस्सा भूमि व 7/27 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 तथा 5/27 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 10 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता संख्या 637/310 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से वादी संख्या 1 व मृतक हजारी प्रत्येक के 8/27 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 8 के 1/9 हिस्सा भूमि, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 11 प्रत्येक के 1/36 हिस्सा भूमि, प्रतिवादीया सं0 10 के 23/108 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि हजारी पुत्र बिंझाराम का देहांत हो चुका है हजारी पुत्र बींझाराम के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है उक्त वाद भूमि में वादी संख्या 2 का हक हिस्सा था लेकिन दर्ज नही हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 9 के नाम गलत दर्ज हो गया वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 627/240 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता संख्या 637/310 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि उक्त दोनों खातो की भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:39 IST
Reason: SelfAttested

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 438 / 2021
अनवान : –

1. गोपालराम पुत्र बींझाराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. नरेश पुत्र मुखराम जाति बांवरी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. सतपाल पुत्र मुखराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. शिवभगवान पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
3. भंवरलाल पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णलाल पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
6. मुर्तिदेवी पुत्री हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
7. जसोदेवी पुत्री हजारीराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंग जिला हनुमानगढ़।
8. गिरदावरी पुत्री बिंझाराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. सुगनी पुत्री बिंझाराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. रूकमणी उर्फ पत्नी मुखराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. सुनिता पुत्री मुखराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 438 सन 2021 निर्णय दिनांक** – 14/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 627/240 की कुल 7.9950 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता संख्या 637/310 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि उक्त दोनों खातो की भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:39 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/03/20[illegible] को [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर